बीस रुपये
TWENTY RUPEES

रु.20/-

(29)

R-2543-II/14

शारदा प्रसाद तिवारी तनय श्री जानकी प्रसाद तिवारी उम्र 40 वर्ष पेशा खेती निवासी ग्राम अमिलियावला थाना / तह0 मैहर जिला सतना म.प्र.

------- निगरानी कर्ता ।

श्री अवधेश सिंह एड0 द्वारा आज दिनांक 06-07-14 को प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

बनाम

आशा देवी पुत्री जगन्नाथ पाण्डेय पत्नी विजय कुमार श्रीवास्तव निवासी अरकण्डी मैहर जिला सतना

--------- अनावेदक ।

अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा प्र.क्र. अपील /2013-14 मे पारित आदेश दि. 23-6 के विरुद्ध निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा राजस्व संहिता ।

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है :-

1- अनुविभागीय अधिकारी मैहर जिला सतना के द्वारा अपील प्र 22/अपील/2013-14 मे पारित आदेश दिनांक 21-4-2014 के विरुद्ध अ की ओर से द्वितीय अपील अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी जिसमे विधिवत सुनवायी उपरान्त दि. 5-5-2014 को आदेश पारित क अपील प्रकरण अन्तिम सुनवायी हेतु ग्राह्य कर पंजीबद्ध कर लिया गया स्थगन आवेदन पर सुनवायी करते हुए 45 दिवस के लिए यथास्थिति का आदेश देते हुए प्रकरण में अगली पेशी 19-6-14 नियत की गयी थी। 19-6-14 को अनावेदक के अधिवक्ता प्रकरण में उपस्थित हुए थे तथा स्थग बढ़ाए जाने का विरोध किए जाने पर दिनांक 20-6-14 को स्थगन के पर पुन: उभय पक्ष के अधिवक्ता के तर्क सुने गए थे और इसी विन्दु पर हेतु प्रकरण 23-6-14 के लिए नियत किया गया था किन्तु दि. 23-6-1 जिस तरह के तर्क देते हुए अपील ग्राह्यता के विन्दु पर निरस्त करने का दिया गया है, वह पूरी तरह से विधि विरुद्ध है । चूंकि प्रकरण अंतिम हेतु दि. 5-5-14 को ही ग्राह्य कर लिया गया था और अधीनस्थ न्य के अभिलेख तलब किए जाने के आदेश दिए गए थे लेकिन इसके अपील प्र

शारदा प्रसाद तिवारी

पृ0 ----

	6- वास्ते [illegible] अंतिम तर्क पेशी तारीख 15-5-15 आ० ह० [illegible] रीडर	15-5 [illegible]
		NP 15-5-15 [illegible]
15-5-15	आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। अनावेदक अभिभाषक श्री [illegible] उपस्थित। आवेदक को बार-बार आवाज लगाई, कोई उपस्थित नहीं। आवेदक के उपस्थित नहीं होने के कारण प्रकरण अदम पैरवी के ~~कारण~~ ~~[illegible]~~ खारिज किया जाता है। [illegible] अतिo	खारिज [illegible] आवेदक

[कृ. प. उ.